भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3545**

03.04.2017 को उत्‍तर के लिए

**आवासीय क्षेत्रों के निकट अपशिष्ट परिशोधन संयंत्र**

3545. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार आवासीय क्षेत्रों के 20 से 100 मीटर के भीतर अपशिष्ट परिशोधन संयंत्रों को स्थापित करने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह पहली बार किया जा रहा है कि अपशिष्ट परिशोधन सुविधा और पब्लिक जोन की सीमाओं को अलग-अलग करके बफर जोन बनाकर अपशिष्ट परिशोधन संयंत्रों को तय सीमाओं का दृढ़ता से पालन करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (घ) ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन नियम, 2016 में पांच टन प्रतिदिन की संस्‍थापित क्षमता से अधिक क्षमता वाली ठोस अपशिष्‍ट परिशोधन और निपटान सुविधा के चारों ओर बफर जोन, जिस पर कोई विकास न किया जाना हो, को बनाये रखने का प्रावधान है। ऐसी प्रत्‍येक अपशिष्‍ट प्रसंस्‍करण सुविधा के लिए निर्धारित बफर जोन का परिसीमन, स्‍थानीय निकाय द्वारा राज्‍य प्रदूषण बोर्ड के साथ परामर्श करके मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाना है। बफर जोन को ठोस अपशिष्‍ट प्रसंस्‍करण और निपटान सुविधाओं के कुल भूमि क्षेत्र के भीतर अभिनिर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

\*\*\*\*\*\*